

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या  
11/05/2019

प्रवेश तिथि  
01-10-2019

निर्णय दिनांक  
24-12-2019

1. चन्दगी राम पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां तहसील बहरोड जिला अलवर निवासी जखराना तहसील बहरोड अलवर।
2. श्रीमती रूकमणी पुत्र बिहारी लाल पत्नी फूलचन्द जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां तहसील बहरोड जिला अलवर हाल निवासी भिवानी हरियाणा।
3. शेर सिंह पुत्र भोतराम जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां तहसील बहरोड जिला अलवर निवासी निहालोठ तहसील भुवना जिला झन्झूना राज0।
4. राम सिंह पुत्र भोतराम जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां तहसील बहरोड जिला अलवर निवासी निहालोठ तहसील भुवना जिला झन्झूना राज0।
5. श्रीमती मुकेश पुत्री भोतराम पत्नी लाल चन्द जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां, तहसील बहरोड जिला अलवर हाल निवासी गहाडा हरियाणा।
6. श्रीमती सोमबाई पुत्र भोतराम पत्नी अशोक जाति अहीर काश्तकार ग्राम जखरानाखुर्द व जखराना कलां तहसील बहरोड हाल निवासी गहाडा हरियाणा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भू0अ0) तहसील बहरोड, जिला अलवर।

रेस्पौ0



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर दिनांक 09.01.19 बाबत इंतकाल संख्या 848 वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थित:-

1. श्री महेश गोठवाला

एडवोकेट अपीलांत

—:: निर्णय ::—

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 09.01.19 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 848 वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांत ने अपनी बहस में अपील में अकित तथ्यों को दौहराते हुये जिवेदन किया कि बिहारीलाल ने अपने जीवन काल में श्रीमती विनोदी व श्रीमती पार्वती से विवाह किया था व श्रीमती विनोदी व पार्वती का स्वर्गवास बिहारीलाल के स्वर्गवास के बाद हो गया था। अपीलान्त ग्राम जखराना में निवासी करता है व भोतराम अपने ससुराल में निवास करता था, रूकमणी अपने पति के साथ मुकेश, सोमबाई अपने पति के साथ निवास करती है व शेर सिंह, रामसिंह, अपीलान्त निलोठ में रहते हैं। भोतराम का दाह संस्कार जखराना व बिहारीलाल का दाह संस्कार भी जखराना में हुआ है। अपीलाण्टान बिहारी लाल व भोतराम की आराजी मुतनाजा पर काबिज है। तहत अदालत ने अपीलीय निर्णय में मृतक के वारिसान

जिला कलक्टर  
अलवर (राज0)

जिला झुन्झुनु में रहते हैं, और तहसीलदार भुवाना से वारिसान की जांच रिपोर्ट मांगी गई जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है के आधार पर विवादित इंतकाल खारिज कर दिया। मृतक बिहारीलाल ग्राम जखराना में रहता था अपीलान्ट सं० 1 चन्दगीराम मृतक बिहारीलाल का पुत्र है व भोतराम अपने ससुराल निहालोठ में रहता था और काश्तकार जखराना कलां व जखराना खुर्द का है। तहत अदालत में अपीलान्ट्स को पैरवी करने व जवाब देही व दस्तावेज पेश करने का कोई मौका नहीं दिया व ना कोई जांच की गई। तहत अदालत ने गलत तरीके से इंतकाल अपने नाम दर्ज व निर्णित करवा लिया। तहत अदालत ने भी बिना वारिसान की जांच किये एवं सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24-06-2019 को हुई जिस पर नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर अपील दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर समस्त वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

अपीलान्ट्स वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 09-01-19 के विरुद्ध दिनांक 2-7-19 को पेश की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24-6-2019 को होना जाहिर करते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्टने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट मृतक बिहारीलाल व भोतराम के जायज वारिस है, विरासत के इंतकाल में अपीलान्ट्स का नाम दर्ज नहीं किया है, तथा बिना वारिसान की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 09-01-19 बाबत इंतकाल संख्या 848 वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर एवं मृतक बिहारीलाल व भोतराम के जायज वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलक्टर,  
अलवर